कार्यालय वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद आजमगढ़

सी.यू.जी.- 9454400250, दूरभाष- 05462-260403, ई-मेल- spazh-up@nic.in

पत्र संख्या- 355/2026

प्रेस विज्ञप्ति

दिनांक- 10.09.2026

थाना–सरायमीर, जनपद–आजमगढ़

□ कुँवर नदी किनारे गोवंश वध की घटना का खुलासा—01 वांछित अभियुक्त गिरफ्तार व 01 बाल अपचारी पुलिस संरक्षण में

□ घटना में शामिल अभियुक्तों की गिरफ्तारी के लिए गठित टीमों की कार्रवाई—मुठभेड़ में पूर्व में 01 अभियुक्त हो चुका है गिरफ्तार

घटना का संक्षिप्त विवरण–

दिनांक *08.09.2026* को थाना सरायमीर क्षेत्रान्तर्गत ग्राम *सदरपुर (शाहपुर)* में कुँवर नदी के किनारे स्थित खेत में दो गोवंश के कटे हुए अवशेष बरामद हुए थे। सूचना पर पुलिस द्वारा तत्काल मौके पर पहुंचकर घटनास्थल का निरीक्षण किया गया तथा पशु चिकित्साधिकारी द्वारा अवशेषों का परीक्षण कर आवश्यक नमूने सुरक्षित किये गये। वादी श्री विजय कुमार यादव पुत्र रामराज यादव निवासी ग्राम कादनपट्टी पोस्ट राजापुर सिकरौर थाना सरायमीर, जनपद आजमगढ़ की तहरीर के आधार पर थाना सरायमीर पर *मु0अ0सं0 228/2026 धारा 3/8 उ0प्र0 गोवध निवारण अधिनियम* बनाम अज्ञात पंजीकृत किया गया।

घटना के शीघ्र अनावरण एवं अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु पुलिस टीमों का गठन कर लगातार पतारसी-सुरागरसी एवं दबिश की कार्यवाही की जा रही थी।

दिनांक *08.09.2026 की रात्रि* उक्त घटना में शामिल अभियुक्तों की तलाश के दौरान पुलिस टीम की कुछ व्यक्तियों से मुठभेड़ हुई। पुलिस टीम पर फायरिंग किये जाने पर आत्मरक्षार्थ की गई जवाबी कार्रवाई में *01 अभियुक्त मो0 साबिर* के पैर में गोली लगी, जिसे घायलावस्था में गिरफ्तार कर उपचार हेतु जिला अस्पताल आजमगढ़ भेजा गया। अभियुक्त के कब्जे/निशानदेही से अवैध तमंचा-कारतूस एवं घटना में प्रयुक्त चापड़, 02 चाकू व लकड़ी का ठीहा बरामद किया गया।

गिरफ्तारी/पुलिस अभिरक्षा का विवरण–

आज दिनांक *10.09.2026* को उ0नि0 हरिकेश शर्मा मय हमराह पुलिस बल द्वारा मु0अ0सं0 228/2026 धारा 3/8 उ0प्र0 गोवध निवारण अधिनियम में प्रकाश में आये वांछित अभियुक्त की तलाश की जा रही थी। इसी दौरान *ग्राम बीनापारा पुलिया से कुछ दूरी पहले स्कूल जाने वाले मार्ग* के पास मुकदमा उपरोक्त में वांछित दो व्यक्ति वहां किसी वाहन का इंतजार कर रहे हैं। पुलिस टीम द्वारा मौके पर पहुंचकर दोनों व्यक्तियों को घेरकर पकड़ लिया गया। पूछताछ एवं नाम-पता तस्दीक करने पर एक ने अपना नाम *मो0 सैफ पुत्र मो0 समीम अहमद निवासी शाहपुर (सदरपुर), थाना सरायमीर, जनपद आजमगढ़* बताया तथा दूसरा बाल अपचारी पाया गया। दोनों को क्रमशः *गिरफ्तार/पुलिस संरक्षण में* लिया गया। आवश्यक वैधानिक कार्यवाही प्रचलित है।

गिरफ्तार/पुलिस अभिरक्षा–

1. मो0 सैफ पुत्र मो0 समीम अहमद निवासी शाहपुर (सदरपुर), थाना सरायमीर, जनपद आजमगढ़।

2. 01 बाल अपचारी।

पंजीकृत अभियोग–

1. मु0अ0सं0 228/2026 धारा 3/8 उ0प्र0 गोवध निवारण अधिनियम, थाना सरायमीर, जनपद आजमगढ़।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम–

1. उ0नि0 हरिकेश शर्मा, थाना सरायमीर, जनपद आजमगढ़।

2. हे0का0 अमेरिका यादव, थाना सरायमीर, जनपद आजमगढ़।

3. का0 विजय प्रसाद गौड़, थाना सरायमीर, जनपद आजमगढ़।

थाना–मुबारकपुर, जनपद–आजमगढ़

□ चोरी की घटना में फरार/वांछित अभियुक्त 01 नाजायज तमंचा .315 बोर व नकदी के साथ गिरफ्तार

□ चोरी की घटना में शामिल 03 सदस्यीय गिरोह का खुलासा—पूर्व में 02 अभियुक्त भेजे जा चुके हैं जेल

पूर्व की घटना–

दिनांक *11.07.2026* को ग्राम खुझियाँ, थाना मुबारकपुर निवासी वादी श्री इन्द्रबली यादव की दुकान से अज्ञात चोरों द्वारा खराब लोहे का शटर चोरी कर लिया गया था। जिसके संबंध में थाना मुबारकपुर पर *मु0अ0सं0 259/2026 धारा 305 बीएनएस* बनाम अज्ञात पंजीकृत किया गया था। अभियोग में पूर्व में 02 अभियुक्त गिरफ्तार कर जेल भेजे जा चुके हैं तथा 01 वांछित अभियुक्त की तलाश की जा रही थी।

गिरफ्तारी का विवरण–

चोरी/नकबजनी के वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में थाना प्रभारी निरीक्षक *शशि चन्द्र चौधरी* के निर्देशन में उ0नि0 *कुलदीप कुमार यादव* मय पुलिस टीम द्वारा दिनांक *10.09.2026* को रात्रि चेकिंग के दौरान *लोहरा से दामोदरपुर मार्ग, बहद ग्राम दामोदरपुर* से वांछित अभियुक्त *श्रवण कुमार* को समय करीब *00:45 बजे* गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त के कब्जे से *01 तमंचा .315 बोर व ₹200/- नकद* बरामद हुआ।

गिरफ्तार अभियुक्त–

श्रवण पुत्र रमाशंकर, निवासी ग्राम यहियाचक, थाना चिरैयाकोट, जनपद मऊ, उम्र करीब 28 वर्ष।

पूछताछ में अभियुक्त द्वारा अपने साथी *अवनीश चौहान एवं खलीलुल्लाह* के साथ मिलकर चोरी की घटनाओं को अंजाम देना तथा चोरी की सम्पत्ति को खलीलुल्लाह की कबाड़ की दुकान में छिपाकर बाद में बेचने की जानकारी दी गयी।

पंजीकृत अभियोग–

मु0अ0सं0 259/2026 धारा 305, 317(2), 317(4), 317(5), 112(2) बीएनएस व मु0अ0सं0 327/2026 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट, थाना मुबारकपुर, जनपद आजमगढ़।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम–

उ0नि0 कुलदीप कुमार, हे0का0 राहुल सिंह यादव, सर्वेश कुमार, का0 कृष्ण मिश्रा एवं का0 राजन कुमार, थाना मुबारकपुर, जनपद आजमगढ़।

थाना–कोतवाली, जनपद–आजमगढ़

□ ₹15,000/- का पुरस्कार घोषित वांछित अभियुक्त गिरफ्तार

□ दुष्कर्म, ब्लैकमेलिंग व धमकी के मामले में 09.09.2026 की रात्रि बेलइसा ओवरब्रिज के पास से हुई गिरफ्तारी

पूर्व की घटना– वादी/पीड़िता द्वारा थाना कोतवाली पर तहरीर दी गयी कि अभियुक्तों द्वारा बहला-फुसलाकर उसके साथ दुष्कर्म किया गया तथा आपत्तिजनक फोटो/वीडियो बनाकर ब्लैकमेल एवं धमकी दी गयी। इस संबंध में थाना कोतवाली पर *मु0अ0सं0 348/2026 धारा 70(1), 123, 61(2), 352, 351(3) बीएनएस* पंजीकृत किया गया था। प्रकरण में वांछित अभियुक्त की गिरफ्तारी हेतु *₹15,000/- का पुरस्कार* घोषित किया गया था।

गिरफ्तारी का विवरण–

पुलिस अधीक्षक के निर्देशन में वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में थाना कोतवाली पुलिस टीम द्वारा मुखबिर की सूचना पर मुकदमा उपरोक्त से संबंधित वांछित अभियुक्त *आशीष उर्फ खुश्शु पुत्र अशोक कुमार निवासी सरफुद्दीनपुर, थाना कोतवाली, जनपद आजमगढ़, उम्र करीब 23 वर्ष* को दिनांक *09.09.2026 को समय 21:35 बजे* बेलइसा ओवरब्रिज के पास से गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त के विरुद्ध अग्रिम विधिक कार्यवाही प्रचलित है।

पंजीकृत अभियोग–

मु0अ0सं0 348/2026 धारा 70(1), 123, 61(2), 352, 351(3) बीएनएस, थाना कोतवाली, जनपद आजमगढ़।

गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम–

उ0नि0 सौरभ त्रिपाठी, हे0का0 अभय कुमार सिंह, का0 अंशुमान सिंह, रि0का0 हिमांशु मिश्रा, रि0का0 सिद्धार्थ सिंह, रि0का0 सुमित शर्मा एवं म0का0 प्रियंका सिंह, थाना कोतवाली, जनपद आजमगढ़।

थाना–रौनापार, जनपद–आजमगढ़

□ शादी का झांसा देकर युवती से शारीरिक सम्बन्ध बनाने एवं अश्लील फोटो/वीडियो वायरल करने की धमकी देने के मामले में 01 वांछित अभियुक्त गिरफ्तार

□ आजमगढ़ पुलिस ने गुजरात के अहमदाबाद से अभियुक्त को किया गिरफ्तार—ट्रांजिट रिमाण्ड पर लाकर न्यायालय के समक्ष किया गया प्रस्तुत

घटना का विवरण–

दिनांक *30.06.2026* को थाना रौनापार पर प्राप्त तहरीर के आधार पर अभियुक्तगण द्वारा एक युवती को बहला-फुसलाकर अपने साथ ले जाने, उसके साथ शारीरिक सम्बन्ध बनाने तथा उसके अश्लील फोटो/वीडियो बनाकर सोशल मीडिया एवं व्हाट्सऐप के माध्यम से रिश्तेदारों को भेजने, गाली-गलौज एवं धमकी देने के संबंध में *मु0अ0सं0 173/2026 धारा 69, 352, 351(3) बीएनएस व 67ए आईटी एक्ट* पंजीकृत किया गया था। विवेचना के दौरान अभियुक्त *आर्यन गिरी उर्फ विशाल गिरी* का नाम प्रकाश में आया तथा उसकी गिरफ्तारी हेतु न्यायालय से NBW प्राप्त किया गया था।

गिरफ्तारी का विवरण–

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ *डॉ0 अनिल कुमार* के निर्देशन में वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में विवेचक/नि0अपराध *अशोक कुमार तिवारी* द्वारा अभियुक्त के मोबाइल नम्बर की लोकेशन प्राप्त की गयी, जो *अहमदाबाद, गुजरात* में मिली। स्थानीय पुलिस के सहयोग से अभियुक्त को *सरसपुर इटवारा, थाना शहर कोटडा, अहमदाबाद, गुजरात* स्थित किराये के मकान से गिरफ्तार किया गया।

अभियुक्त का मेडिकल परीक्षण कराकर माननीय न्यायालय अहमदाबाद से *ट्रांजिट रिमाण्ड* प्राप्त किया गया तथा दिनांक *10.09.2026* को थाना रौनापार लाकर आवश्यक विधिक कार्यवाही के उपरान्त माननीय न्यायालय आजमगढ़ के समक्ष प्रस्तुत किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण–

आर्यन गिरी उर्फ विशाल गिरी पुत्र राकेश गिरी, निवासी ग्राम धरमगंज, थाना भीटी, जनपद अम्बेडकर नगर, हाल पता रामपुर की चाली, अम्बेडकर, अहमदाबाद, गुजरात, उम्र करीब 21 वर्ष।

पंजीकृत अभियोग–

मु0अ0सं0 173/2026 धारा 69, 352, 351(3) बीएनएस व 67ए आईटी एक्ट, थाना रौनापार, जनपद आजमगढ़।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम–

नि0अपराध अशोक कुमार तिवारी, क्षेत्राधिकारी सगड़ी कार्यालय, आजमगढ़।

का0 नरसिंह पासवान, थाना रौनापार, आजमगढ़।

का0 आर्यन द्विवेदी, थाना रौनापार, आजमगढ़।

थाना–जहानागंज, जनपद–आजमगढ़

□ अवैध तमंचा व जिन्दा कारतूस के साथ 01 अभियुक्त गिरफ्तार

□ गोड़सर पुलिया के पास घेराबंदी कर जहानागंज पुलिस ने अभियुक्त को पकड़ा

घटना/गिरफ्तारी का विवरण-

दिनांक 09.09.2026 को थाना जहानागंज पुलिस द्वारा मुखबिर की सूचना पर गोड़सर पुलिया के पास घेराबंदी कर *सागर विश्वकर्मा पुत्र मंगला प्रसाद विश्वकर्मा निवासी विहरदर खुज्जी, थाना चन्दवक, जनपद जौनपुर, उम्र करीब 23 वर्ष* को गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त के कब्जे से *01 अवैध तमंचा .315 बोर व 01 जिन्दा कारतूस .315 बोर* बरामद हुआ।

पंजीकृत अभियोग-

मु0अ0सं0 194/2026 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट, थाना जहानागंज, आजमगढ़।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

उ0नि0 लवकुश कुमार सोनकर मय हमराह रि0का0 शिवाँश सिंह व रि0का0 विवेक गौड़, थाना जहानागंज, आजमगढ़।

थाना–देवगांव, जनपद–आजमगढ़

□ फर्जी दस्तावेज व हस्ताक्षर बनाकर वाहन हस्तांतरण कराने के मामले में 01 अभियुक्त गिरफ्तार

□ देवगांव पुलिस ने बसही नहर पुल के पास से अभियुक्त को किया गिरफ्तार

पूर्व की घटना का विवरण-

आवेदिका द्वारा शिकायत की गयी कि उसके पति *दिलीप यादव* द्वारा व्यवसायिक साथी को व्यवसाय हेतु दिया गया *मारुति सुजुकी वाहन* आरोपियों द्वारा फर्जी आधार कार्ड, दस्तावेज एवं हस्ताक्षर तैयार कराकर बिना सहमति एवं वाहन स्वामी की उपस्थिति के परिवहन विभाग से अपने नाम हस्तांतरित करा लिया गया। इस संबंध में थाना देवगांव पर *मु0अ0सं0 320/2026 धारा 319(2)/318(4)/338/336(3)/340(2) बीएनएस* पंजीकृत कर विवेचना की जा रही है।

गिरफ्तारी का विवरण-

दिनांक *10.09.2026* को थाना देवगांव पुलिस द्वारा मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित अभियुक्त *इम्तियाज अहमद पुत्र अलीमुद्दीन निवासी बसही इकबालपुर, थाना देवगांव, जनपद आजमगढ़* को बसही नहर पुल मेहनाजपुर के पास से समय करीब 13:30 बजे गिरफ्तार किया गया।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

उ0नि0 सुरेश कुमार सिंह मय का0 अमित तिवारी व का0 कृष्णानन्द पाण्डेय, थाना देवगांव, आजमगढ़।